भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3178 का उत्तर

रेलवे में अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय

3178. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा नियोजित, प्रशिक्षित और पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में रेलवे अवसंरचना, स्टेशन पुनर्विकास और संपर्क पर अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए कोई विशेष कौशल विकास/प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल में भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के मौजूदा प्रावधान का अनुपालन किया जाता है।

भारतीय रेल के आकार, स्थानिक वितरण और परिचालन महत्व को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, यंत्रीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। इन रिक्तियों को मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकीय संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है।

वर्तमान में, वार्षिक कैलेंडर 2024 और 2025 के अनुसार भारतीय रेल में 1,43,086 रिक्तियों पर अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्तियां शुरू की गई हैं।

सहायक लोको पायलटों (एएलपी), तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर (जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रसायन एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियों, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक), गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व-स्नातक), अनुसचिवीय एवं पृथक कोटियों और लेवल-1 कोटियों जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसम्बर 2024 के दौरान 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई थीं।

92,116 पदों के लिए प्रथम/एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पूरी की जा चुकी है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है: -

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी	18,40,347	156	15
तकनीशियन के पद (14,298 रिक्तियां तकनीशियन ग्रेड-1 सिगनल सहित) हेतु सीबीटी	26,99,892	139	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी	11,01,266	146	15
रे.सु.ब.- एस.आई के पद (452 रिक्तियां) हेतु सीबीटी	15,35,635	143	15
रे.सु.ब. - कांस्टेबल के पद (4208 रिक्तियां) हेतु सीबीटी	45,30,288	147	15
पैरामेडिकल कोटियों (1376 रिक्तियां) हेतु सीबीटी	7,08,321	143	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) (8113 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी	58,41,774	141	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक) (3445 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी	63,27,473	157	15
अनुसचिवीय एवं पृथक कोटियों हेतु सीबीटी (1,036 रिक्तियां)	4,46,013	139	15
लेवल 1 पद हेतु सीबीटी (32438 रिक्तियां)	1,08,28,261	152	15
कुल अभ्यर्थी	3,58,59,270		

सहायक लोको पायलट, जेई/डीएमएस/सीएमए और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक एवं पूर्व स्नातक) के पदों के लिए द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) भी पूरी कर ली गई है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है: -

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी	2,66,363	112	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी	1,17,339	118	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) (8113 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी	1,21,931	129	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक) (3445 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी	51,978	79	15
कुल अभ्यर्थी	5,57,611		

सहायक लोको पायलट (एएलपी) और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) पद के लिए कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी) तथा गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक), अनुसचिवीय और पृथक कोटियों के लिए कंप्यूटर आधारित कुशलता परीक्षा भी पूरी कर ली गई है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है: -

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु सीबीएटी	1,32,044	84	2
अनुसचिवीय और पृथक कोटियों के लिए अनुवाद परीक्षा	1,233	8	2
गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के लिए सीबीएटी	13,616	38	2
गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के लिए कंप्यूटर आधारित टंकण कुशलता परीक्षा (सीबीटीएसटी)	30,341	58	2
कंप्यूटर आधारित टंकण कुशलता परीक्षा (सीबीटीएसटी)	13,145	44	2
कुल अभ्यर्थी	1,90,379		

41,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए पैनल, जिसमें तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरा मेडिकल कोटियों, उप-निरीक्षक (आरपीएफ) और सहायक लोको पायलटों के पद शामिल हैं, को अंतिम रूप दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 50,970 रिक्तियों के लिए नौ केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएँ भी जारी की गई हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है: -

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या	पद का नाम	अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या	अधिसूचना जारी करने का माह
01/2025	सहायक लोको पायलट	9,970	मार्च 2025
02/2025	तकनीशियन	6,238	जून 2025
03/2025	पैरा मेडिकल कोटि	434	जुलाई 2025
04/2025	सेक्शन कंट्रोलर	368	अगस्त 2025
05/2025	जूनियर इंजीनियर/डिपो सामग्री अधीक्षक	2,585	अक्टूबर 2025
06/2025	गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक)	5,810	अक्टूबर 2025
07/2025	गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक)	3,058	अक्टूबर 2025
08/2025	पृथक कोटियां	312	दिसंबर 2025
09/2025	स्तर-1	22,195	दिसंबर 2025

2953 पदों के लिए पहले चरण/एकल चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) पूरे हो चुके हैं। विवरण निम्नानुसार है: -

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
अनुभाग नियंत्रक के पद हेतु सीबीटी (368 रिक्तियां)	4,33,748	131	15
जेई/डीएमएस के पद हेतु प्रथम चरण सीबीटी (2585 रिक्तियां)	5,74,351	133	15
कुल अभ्यर्थी	10,08,099		

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर कर्मियों और संसाधनों को जुटाने तथा जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। रेलवे ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती का सफलतापूर्वक संचालन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक होने या इसी तरह के कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-2014 की तुलना में 2014-2015 से 2024-2025 के दौरान भारतीय रेल में की गई भर्तियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है: -

अवधि	भर्तियां	
	कुल	अनुसूचित जाति वर्ग
2004-2005 से 2013-2014 तक	4.11 लाख	64,224
2014-2015 से 2024-2025 तक	5.08 लाख	79,115

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर शुरू होने से अभ्यर्थी निम्नानुसार लाभान्वित हो रहे हैं:

- अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;
- प्रति वर्ष योग्यता प्राप्त करने वालों को अवसर;
- परीक्षाओं की निश्चितता;
- भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।

पिछले दो वर्षों में भारतीय रेल में पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या और उनके बीच अनुसूचित जाति से पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	कुल पदोन्नत कर्मचारी	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का पदोन्नति प्रतिशत
2024	121820	20887	17.15%
2025	136270	23383	17.16%

भारतीय रेल के पास एक व्यापक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों में प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो कर्मचारियों को उनके करियर के विभिन्न चरणों में कौशल, पुनः-कौशल और उन्नत कौशल प्रदान करते हैं। उनकी श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य आदि) पर निरपेक्ष, सभी नव-नियुक्त या पदोन्नत कर्मचारियों को उनके करियर के विभिन्न चरणों में समान संरचित प्रशिक्षण रूपरेखा से गुजरना पड़ता है। इसमें नए कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े विशेष प्रशिक्षण शामिल हैं। सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मानक और अवसर समान हैं, जिससे श्रेणियों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण में समानता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत उत्पादन इकाइयों, कारखानों, लोको शेड और कैरिज एवं वैगन डिपो जैसी

इकाइयों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण आयोजित करता है, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नियमों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे युवाओं को कौशल हासिल करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने में वृद्धि होती है।

रेल मंत्रालय अखिल भारतीय आधार पर परियोजनाएं शुरू करके अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान प्रदान कर रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उन्हें लागू करना शामिल है, जैसे कि स्टेशनों तक पहुंच और आवागमन क्षेत्रों में सुधार करना, शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण करना, स्टेशन भवन में सुधार करना, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथों में सुधार करना, यात्री यातायात के अनुरूप व्यापक पैदल पार पुल/एयर कॉकोर्स का प्रावधान करना, लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प का प्रावधान करना, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार करना/प्रदान करना और प्लेटफॉर्म पर कवर करना, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान करना, पार्किंग क्षेत्र, बहुआयामी एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंजों का प्रावधान, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्य दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अभी तक, अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु 1,337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्यों को अच्छी गति से शुरू किया गया है। अब तक, 180 स्टेशनों पर कार्य पूरे हो चुके हैं। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार कार्य शुरू किए जाते हैं। एक स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन की श्रेणी/ स्थिति/ संभाले गए यातायात आदि के आधार पर किया जाता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष - 53 के तहत आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 12,120 करोड़ रु. का निधि आवंटन किया गया है और 10,657 करोड़ रु. का व्यय (जनवरी, 2026 तक) उपगत किया जा चुका है।

रेलवे के संरक्षा दिशानिर्देश और कल्याणकारी नीतियां मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती हैं। आवास में, टाइप I और टाइप II के 10% और टाइप III और IV के रेलवे क्वार्टरों में 5% आरक्षण अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के पक्ष में किया जाता है, जहां क्वार्टरों की संख्या 50 या उससे अधिक है।

******